

प्रेषक,
ए0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 09 जनवरी, 2019

विषय:-विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन में पर्यटन स्थल का विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5241/6-1-1/रा0यो0(974)/मा0मु0मं0घो0/2018, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन में पर्यटन स्थल का विकास कार्य कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0 22,60,000.00 (रूपये बाइस लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 11,30,000.00 (रूपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आईटी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु तैयार किये गये आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में स्वीकृत कार्यों के आगणनों के परीक्षण हेतु गठित समिति के समक्ष शीघ्रतः प्रस्तुत कराते हुए करा लिया जायेगा। प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही प्रशासकीय स्वीकृति समिति द्वारा आगणन के परीक्षणोपरान्त आकलित/संस्तुत धनराशि की सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यदायी संस्था के प्रमुख का होगा।

- (4) स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखें अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार प्रायोजना का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (7) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। प्रायोजना की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सम्बन्धित समिति/संस्था द्वारा सुनिश्चित कराये जाने का अनुबन्ध/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (12) प्रस्तर-2 में अंकित प्रशासकीय स्वीकृति में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि सम्मिलित नहीं है। कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि वास्तविक भुगतान के अनुसार पृथक से प्रदान की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन एवं प्रशासकीय स्वीकृति उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। कार्यदायी संस्था से वास्तविक रूप से भुगतान की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि का आवश्यक प्रमाण-पत्र/विवरण पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त करते हुए शासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तभी अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (13) प्रस्तर-2 में अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का व्यय निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। उपर्युक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् नियमानुसार अनुमन्य किया जायेगा तथा यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इस हेतु निर्माण कार्य में बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों को पृथक कर लिया जायेगा और उसके आधार पर अनुमन्य कार्यों पर सेन्टेज की देयता का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा तथा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी धनराशि का विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (15) प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन का होगा। प्रायोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा।

3. उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)

उप सचिव ।

संख्या-15/2019/84(1)/41-2019-142(बजट)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, झॉसी/जिलाधिकारी, जालौन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 7- उप निदेशक, पर्यटन, झॉसी।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ।
- 9- परियोजना प्रबन्धक, यूपीपीसीएल इकाई-12, उरई-जालौन।
- 10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।